Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 9, October-2018, ISSN 2230-7540

बिहार की औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति के आलोक में राज्य में श्रमिकों की स्थिति

Dr. Anima Ajey*

PhD, Department of Economics, Patna University, Patna

सार - बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016 के साथ बिहार सरकार ने राज्य के विकास को नयी दिशा देने का प्रयास किया है। राज्य सरकार उन्नत प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास के द्वारा भविष्य के विकास के मुख्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। ऐसी उम्मीद है कि नीति के कार्यान्वयन से राज्य का औद्योगिकीकरण होगा, रोजगार सृजित होंगे और इसके समग्र विकास में वृद्धि होगी। पर विकास का अभिन्न अंग है श्रम-बल या लेबर। राज्य के श्रमिकों की हालत कई मामलों में दयनीय है। गरीबी, भूखमरी और शिक्षा से वंचित ये लोग मजबूरी का जीवन जीने को लाचार हैं। निम्न लिखित गद्यांश में श्रमिकों के इसी स्थिति का वर्णन किया गया है।

मुख्य शब्द: औद्योगिक निवेश, बिहार, श्रमिक, रोजगार, शिक्षा

----------X----------

प्रस्तावनाः

भारत के हर प्रदेश की अपनी विशेषता और पहचान है। कहीं खनिज सम्पदा है, तो कहीं औद्योगिक या व्यावसायिक विकास। कुछ प्रदेश अपने शिक्षण संस्थानों और कौशल विकास के लिए मशहूर हैं, तो कुछ अपनी जैविक विविधता के लिए। बिहार कमोबेश भारत के उन राज्यों में गिना जाता है, जहाँ भूमि की उर्वरता ही जीवन की दिशा तय करती है। राज्य के विकास में खेती की प्रधानता रही है। पर पिछले कुछ वर्षों में बदलाव की ऐसी हवा चली है, जिस से बिहार अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अलावा अन्य दोनों क्षेत्रों, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र,की भागीदारी बढ़ी है। इस से राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि में काफी बदलाव आया है। इसी क्रम में प्रदेश कीसरकार ने समावेशी आर्थिक विकास के लिए, एक पंच-वर्षीय बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, की घोषणा की है। इसके अंतर्गत सरकार ने निवेश बढ़ाने और औद्योगिक विकास की गति तेज करने की परिकल्पना की है।

2004-05 से 2008-09 के बीच राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ी और देश के 8.45% की तुलना में राज्य की विकास दर 11.03% थी (झा, 2010: 183)। 20014-15 तक बिहार का जीएसडीपी सालाना 10.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जो सभी प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक है। 1991 के बाद देश के औद्योगिक परिवेश में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे बदलाव आए। बिहार में नयी नीतियों का असर कुछ देर से ही सही पर अब साफ तौर पर दिख रहा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए व्यापक सुधार कार्यक्रम की मुख्य भूमिका रही है, जिससे राज्य में निजी निवेश और उद्योग प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिला है।

वर्तमान नीति का उद्देश्य निवेश को अधिकतम करने के लिए उद्योग-अनुकूल वातावरण बनाना है, विशेष रूप से, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अर्थात खाद्य प्रसंस्करणय पर्यटनय, छोटी मशीन निर्माणय आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माणः कपड़ाः प्लास्टिक और रबरय नवीकरणीय ऊर्जाय चमड़ा और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र। समग्र उद्देश्य राज्य भर में उद्योगों की स्थापना, राजस्व उत्पन्न करने और रोजगार का सृजन करके राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य संवर्धन को अधिकतम करना है। इस नीति को उद्योगों के प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार किया गया हैय उद्योग संघ, निवेशक, विषय विशेषज्ञ, आदि और उनके विचारों को समायोजित करने का प्रयास किया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि नीति के कार्यान्वयन से राज्य का औद्योगिकीकरणहोगा, रोजगार सृजित होंगे और इसके समग्र विकास मैं वृद्धि होगी।

www.ignited.in

बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016 के मुख्य सोपान

इस औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016 नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य रणनीति आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके लिए राज्य सरकार उन्नत प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास के द्वारा भविष्य के विकास के मुख्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। यह नीति (2016)सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों और महिला उद्यमियों को सहायता के लिए विशेष पैकेज की पेशकश करके उनके उद्धान पर केंद्रित है। एक ओर यह नीति राज्य के समग्र विकास का तानाबाना बॉटी है तो वहीं दूसरी तरफ बाहर से आने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने की बात भी इस नीति में है।

राज्य सरकार का लक्ष्य 5% प्रति वर्ष की औद्योगिक विकास दर को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और मेक इन इंडिया स्कीम के अनुसार राज्य में माध्यमिक यानी औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जी एस दी पी में लगभग एक चैथाई करना है। इस औद्योगिक नीति में रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। और पाँच सालों में लगभग 5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। कुछ मुख्य बिंदुओं का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा बिहार के कुछ सबसे तेजी से बढ़ते उद्योग हैं। साथ ही अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि औजार और छोटी मशीन निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के विकास केलिए पहल की योजना बनाई गयी है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है ।चमड़ा उद्योग, छोटी मशीनरी,प्लास्टिक, वस्त्र, जूट और वस्त्र के विकास के लिए विशेष क्लस्टर स्थापित करने की प्रक्रिया चालू है।

निवेश की महत्ता को समझते हुए, राज्य में निविशक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उत्तरोत्तर प्रथाओं को अपनाया जा रहा है, ताकि निवेश को आसान बनाया जा सके। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख सुधार अपनाए गए हैं जैसेः शिकायत निवारण के लिए उद्योग संवाद पोर्टलय एकल खिड़की प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन, एक ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली का विकासय विभिन्न श्रम कानूनों के तहत एकल एकीकृत रिटर्न जमा करने का प्रावधानय उद्योगों के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर विभदित अनुपालन निरीक्षण आवश्यकताय विभिन्न श्रमकानूनों के तहत सिंक्रनाइज ध् संयुक्त निरीक्षण का प्रावधान आदि।

इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। चूँकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, अतः यह नितांत आवश्यक है की ऐसे निवेशों को बढ़ावा मिले जो कृषि उपज की मूल्य वृद्धि में सहायक हों, खासकर सब्जियों और फलों की फसलों के प्रसंस्करण और संरक्षण के माध्यम से।

अधिक रोजगार के सृजन के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए एक व्यापक बाजार ढूंढकर पारंपरिक कौशल का उचित निरूपण आवश्यक है।साथ ही स्थानीय उत्पादन, स्थानीय कौशल और स्थानीय खपत पर भरोसा करने वाले उद्योगों पर जोर देना होगाद्य बिहार खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, पर्यटन आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में एक प्राकृतिक लाभ प्राप्त करता है और राज्यसरकार अधिकतम रोजगार सृजन सुनिश्चित करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए इन लाभों का उचित प्रयोग कर सकती है।

कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा में निवेश करना ताकि बिहार को कुशल जनशक्ति का पसंदीदा स्रोत बनायाजा सके - जिसके लिए न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में बल्कि विदेशों में भी बाजारों में तीव्र कमी का अनुमानलगाया गया है। पर तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने के लिये पैसों के साथ-साथ शिक्षा और काम के प्रति ईमानदारी भी आवश्यक है।

विकास में श्रम शक्ति और श्रमिकों का योगदान

संवृद्धि अर्थशास्त्र के आधुनिक परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास का उचित स्वरूप वह है जिससे "जनसामान्य की अपने मनभावन उद्देश्यों की सम्प्राप्ति के निमित्त प्रयास कर पाने की वृद्धि में ही मिलती है। इससंदर्भ में मानवीय योग्यता के प्रसार को विकास की प्रक्रिया का एक केंद्रीय लक्षण माना जाना चाहिए।" (सेन व द्रीज, 2001: 20) जब हम श्रम शक्ति की बात करते हैं तो इसमें कई समूह हैं जिनका उल्लेख केवल संक्षेप मेंकिया जाएगा। कामगारों को लिंगानुसार पुरुष और महिला कर्मियों में बाँटा जाता है। कौशल के आधार पर कुशल और अकुशल श्रमिक, साक्षर या निराक्षर, और फिर उम्र के हिसाब से बल-श्रमिक या वयस्क श्रमिक केतौर पर उन्हें चिन्हित किया जाता है।

श्रम जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उस शारीरिक और मानसिक श्रम के अनुरूप पारिश्रमिक प्राप्ति। देश-विदेश

www.ignited.in

में कई आंदोलन इसी अनुकूल पारिश्रमिक को लेकर हुए हैं। चाहे हम इतिहास के पन्नों में अमेरिका की क्रांति देखे या मार्क्सवाद। वर्तमान में इंटनेशनल लेबर ऑर्गनायजेशन (आई एल ओ) में श्रमिकोंकी जीवन स्थिति और पारिश्रमिक स्थिति सुधारने पर विचार-विमर्श हुए और देशों के श्रमिक कानून और व्यवहारपर भी उसका असर पड़ा। (सिन्हा, 2012: 187) फिर भी बिहार मे एक व्यक्ति को मुश्किल से 150-400 रुपएकी प्रति दिन आय होती है। (आई बी ई एफ, 2018) यह राशि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए नाकाफी है। परंतु कई कामगार ऐसी न्यूनतम आय पर काम करने को मजबूर हैं।

बिहार में आज भी साक्षरता की दर राष्ट्रीय दर से कहीं कम है। गैलब्रेथ की उक्ति "हमारे समय में ..... कोई भीसाक्षर जनगण निर्धन नहीं है और कोई भी निरक्षर जन गण ऐसा नहीं जो निर्धन न हो। संभवतः निर्धनता और निरक्षरता के और भी बड़े कारण हों । फिर भी, यह अटूट सम्बन्ध हमेशा हमरे ध्यान में बने रहना चाहिए।" (गैलब्रेथ, 1991: खंड 101, 46) इस उक्ति से स्पष्ट है कि अगर बिहारी श्रमिकों को गरीबी से बाहर निकालना है तो उनकी शिक्षा का स्तर सुधारना होगा।

जब राज्य सरकार उद्योग-प्रथान नीति को प्रदेश के विकास का प्रमुख चालक बनाना चाहती है, तब यह जरूरी है कि सबसे पहले यहाँ के श्रम दल को शिक्षित और कार्य-कुशल बनाया जाए। दिनों-दिन आधुनिक उद्योगों में प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ता जा रहा है। असाक्षर श्रम-शक्ति, छपे या हस्त-लिखित निर्देशों को पढ़ कर, तदनुसार काम करने में अक्षम रहेगी। ऐसे में बिहार का एक बड़ा हिस्सा 'बाजार-आधारित विकास के आर्थिक सुयोगों' (सेन, 2001: 46) से वंचित रह जाएगा।एक सत्य यह भी है की यहाँ के प्रतिभाशील बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बिहार छोड़ कर अन्य राज्यों में जाने को मजबूर हैं।

देश की ही तरह बिहार में भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में निरक्षरता का अनुपात अधिक है। इसका सीधा असर अन्य स्वास्थ्य और सामाजिक सूचकांको पर पड़ता है। साथ ही उनके सामने खुले रोजगार के विकल्पों की परिधिभी को भी छोटा करता है। महिलाओं के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण अशिक्षा है। यही अशिक्षा भविष्यकी पीढ़ियों के विकास में भी बाधक होती है।

2011, जनगणना के अनुसार, बिहार में बल-मजदूरों का प्रतिशत (46%) देश में सबसे अधिक है। साथ ही श्रमिकोंके रूप में कार्यरत 5-4 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या में बिहार तीसरे स्थान पर है।(श्रम संसाधन विभाग, 2017) माता-पिता अपने बच्चों को ज्यादातर मजबूरी से बाहर काम करने के लिए भेजते हैं। आर्थिक तंगी और शिक्षा की खाद ने बाल श्रम को समाज में इस तरह स्थापित कर किया है कि लोग इसे जीवन का हिस्सा मानने लगे हैं। वर्ष 2009 में बाल श्रम उन्मूलन, मुक्ति एवं पुनर्वास कार्य योजना बिहार को बाल श्रम मुक्त राज्यबनाने के लिए बनी थी। पर अभी भी प्रदेश इस भयंकर प्रथा का पूर्णरूपेण उन्मूलन नहीं कर सका है। (श्रमसंसाधन विभाग, 2016)

आम जनता या श्रमिकों के सात -साथ विकास के भौगोलिक फैलाव की बात भी आवश्यक है। आज के समय मेंविकास शहरों तक ही सीमित रह गया है। उस हिसाब से बिहार में आधुनिक शहर के नाम पर केवल राजधानी पटना ही है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चार शहरों का चयन हुआ है, पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ। पर बिहार आज भी गाँवों का राज्य है। अतः गाँव में बड़े स्तर पर रोजगार सृजन कीआवश्यकता है। शिक्षाविद प्रोफेसर एम पी सिंह (2010) के अनुसार "गाँव में रोजगार खत्म हो गए हैं। गाँव रेलवेस्टेशन की भाँति हो गया है। किसी को नहीं लगता है की वहाँ घर है। सभी लोग रेलवे स्टेशन की मनः स्थिति मैंजी रहे हैं।" उनका इशारा गाँवों से दूसरे राज्यों की तरफ युवाओं के पलायन की ओर है। आज गाँव के गाँव वीरान हो चले हैं। रोजगार और शिक्षा की खातिर युवा घर छोड़ कर जाने को मजबूर हैं।

निष्कर्ष

श्रम संविधान के समवर्ति सूची का विषय है। अतः केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस मामले पर कानून बना सकते हैं परंतु भारत सरकार के सभी श्रम कानून राज्यों पर लागू होते हैं। बिहार ने भी केंद्र द्वारा पारित श्रम कानून को राज्य में लागू किया है। पर श्रमिकों के पूर्ण उत्थान के लिए अभी और प्रयास करने होंगे। साथ ही बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के अथक प्रयास करने होने। राज्य में नए उद्योग तभी लगेंगे जब यहाँ कुशल कर्मी मिलेंगे।ऐसे में केवल औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति काफी नहीं। नीति की सफलता के लिए धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। जितना जल्दी सरकार और जनता यह बात समझेगी, प्रदेश के लिए उतना अच्छा होगा।

संदर्भ सूची

आई बी ई एफ, 2018), https://www.ibef.org/download/Bihar-march-2018.pdf

www.ignited.in

गैलब्रेथ, जॉन के, (1991, जनवरी), 'एकोनामिक्स इन द सेंचुरी अहेड', द एकोनोमिक जर्नल बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016, retrieved from

http://udyog.bihar.gov.in/NewPolicy/Bihar_Investment_Promotion_Policy_2016.pdf

पंकज कुमार झा, (2010), सुशासन के आईने में नया बिहार , प्रभात प्रकाशन

सिंह एम पी, (2010)" रेलवे स्टेशन वाली मानसिकता बदलनी होगी", पंकज कुमार झा, सुशासन के आई ने में नया बिहार, प्रभात प्रकाशन

सिन्हा मृदुला, (2012), 'श्रमेव जयते', विकास का विश्वास, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नयी दिल्ली

सेन अमत्र्य व द्रीज़ ज्यां, (2001), भारतः विकास की दिशाएँ, राजपाल एण्ड सन्स, नयी दिल्ली

श्रम संसाधन विभाग, (2016, दिसम्बर) बिहार में बाल श्रम उन्मूलन, बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग, (12 जून 2017), 'State Action Plan for elimination of Child Labour and Prohibition

And Regulation of Adolescent Labour, 2017: Toward creating a Child Labour free Bihar' बिहार

सरकार' retrieved from https://labour.gov.in/sites/default/files/Annex-8.pdf

---

Corresponding Author

Dr. Anima Ajey*

PhD, Department of Economics, Patna University, Patna